महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः स्था./4/सी.भ./च.श्रे.से./2014/ 45906 दिनांकः- 16/12/16

विज्ञप्ति

कारागार विभाग में चतुर्थ श्रेणी सेवा के रिक्त नाई, कुक एवं सफाई कर्मचारी (हरिजन) के निम्नांकित पदों पर भर्ती हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है यह आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक या दस्ती विज्ञप्ति प्रकाशन से दिनांक 20.01.2017 सांयकाल 5.00 बजे तक आवेदन पत्र भेजने के पते पर भिजवाये जा सकते है। दिनांक 20.01.2017 को सांयकाल 5.00 बजे पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

1. पद सफाई कर्मचारी (हरिजन) :- 5 सामान्य, 2 ओ.बी.सी., 4 अनुसूचित जनजाति

क.सं.	कारागृह का नाम	पदों की संख्या	आवेदन पत्र भेजने का पता
1.	के.का.बीकानेर	1	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर
2.	के.का.जयपुर	1	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
3.	के.का.श्रीगंगानगर	1	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर
4.	के.का.अलवर	2	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अलवर
5.	जि.का.सवाईमाधोपुर	1	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, सवाईमाधोपुर
6.	जि.का.बाड़मेर	1	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, बाड़मेर
7.	जि.का.सिरोही	1	उपाधीक्षक, जिला कारागृह, सिरोही
8.	उ.सु.का.अजमेर	1	अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर
9.	नवीन कारागृह,जयपुर	1	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
10.	नवीन कारागृह,बीकानेर	1	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर
	योग	11	

2. पद कुक :- 2 सामान्य

क.सं.	कारागृह का नाम	पदों की संख्या	आवेदन पत्र भेजने का पता
1.	के.का.बीकानेर	1	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर
2.	का.प्र.संस्थान, अजमेर	1	प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान,अजमेर
	योग	2	

3. पद नाई :- 3 सामान्य

क.सं.	कारागृह का नाम	पदों की संख्या	आवेदन पत्र भेजने का पता
1.	के.का.बीकानेर	1	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर
2.	के.का.जयपुर	1	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
3.	के.का.जोधपुर	1	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर
	योग	3	

भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुसार नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

1. आयू

कुक, नाई एवं सफाई कर्मचारी (हरिजन) के पद हेतु आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2017 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगी।

2. **शैक्षणिक योग्यता**

उपरोक्त पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम 5वीं कक्षा उतीर्ण होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अन्य शर्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार लागू होगी।

3. वेतन

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में रखा जायेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के दौरान नियमानुसर नियत पारिश्रमिक एकमुश्त राशि रूपये 6670 /- देय होगी। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के पश्चात् चतुर्थ श्रेणी सेवा के पे बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे रूपये 1700/- में न्यूनतम वेतन एवं उस पर अन्य भते नियमानुसार देय होंगे।

आवेदन पत्र अधिक संख्या में प्राप्त होने पर प्राप्त आवेदन पत्रों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदण्ड अनुसार छंटनी (Short List) की जा सकेगी व तद्नुसार छंटनी किये गये आवेदकों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।

आवेदन पत्र बंद लिफाफे में भेजा जावे तथा लिफाफे के उपर ''चतुर्थ श्रेणी सेवा हेतु आवेदन एवं पदनाम अंकित होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ संबंधित वांछित दस्तावेजों यथा जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी/जाति प्रमाण पत्र आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियां आवश्यक रूप से संलग्न की जावे। आवेदन पत्र संबंधित अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह एवं प्राचार्य के पते पर प्रेषित किये जावे।

नोट-

(1). *आवेदन पत्र का प्रारूप वैबसाइट* **www.rajprisons.in** *से डाउनलोड कर सकते है।*

(2). *आवेदक अपने आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नही दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।*

(3). *आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।*

4. शुल्क -

1) अनुसूचित जनजाति के आवेदक जो राजस्थान के मूल निवासी है के लिए - रूपये 50/-

2) अन्य समस्त आवेदक हेतु - रूपये 100/-

शुल्क राशि भारतीय पोस्टल आर्डर जो संबंधित अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह एवं प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर तथा अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर के पक्ष में देय होगा। पोस्टल आर्डर के अतिरिक्त बैंक ड्राफ्ट, नकद, चैक, ट्रेजरी चालान, मनीआर्डर, डाक टिकिट स्वीकार नहीं किये जायेगें। शुल्क कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा। दोषपूर्ण पोस्टल आर्डर प्राप्त होने पर आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। और ना ही आगामी भर्ती हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

5. आवेदन पत्र -

(i.) विज्ञप्ति में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार आवेदन पत्र पूर्ण कर दिनांक 20.01.2017 को सांय 5.00 बजे तक संबंधित अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह एवं प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर तथा अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर के कार्यालय में डाक/व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए।

(ii.) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना समय सीमा में आवेदन करें। विभाग को विशेष परिस्थितियों में इनमें किसी भी दिनांक में संशोधन करने का अधिकार होगा।

6. नियुक्ति के लिये अयोग्यता -

(i) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि दिनांक 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वात्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जायेगी।

कार्मिक विभाग की अधीसूचना दिनांक 20.11.2015 के अनुसार आवेदक द्वारा पूर्न विवाह किये जाने पर जो किसी विधि विरूद्ध नहीं हो से प्रथम प्रसव की संतान नियुक्ति में बाधक नहीं होगी।

(ii) राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वान्छनीय होगा।

(iii) किसी भी विवाहित/विवाहिता अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसके विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया हो।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)

(iv) आवेदक के एक से अधिक जीवित पत्नी/पति होने पर वह नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई छूट नहीं दी गई हो।

(v) भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा में छुट का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक नियमानुसार सेवा से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है अन्यथा उसे आयु सीमा में लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नही होगा।

आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है वे इन पदों हेतु आवेदन नही करें।

7. चयन–

कुक, नाई एवं सफाई कर्मचारी (हरिजन) के पदों पर भर्ती हेतु आवेदकों का साक्षात्कार लिया जावेगा एवं कुक व नाई के पदों के संबंध में आवेदक की दक्षता परीक्षा भी ली जा सकेगी तथा पदों हेतु साक्षात्कार के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक संवर्ग की अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी।

8. प्रमाण पत्र –

आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्व: प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी –

(i) समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

(ii) नाई पद हेतु नाई/हेयर ड्रेसर के रूप में 2 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र

(iii) कुक पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से खाना बनाने/खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र ।

(iv) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित है तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।

(v) यदि आवेदक राज्य कर्मचारी है तो नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(vi) अन्तिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र, एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से पुराने नहीं हों।

(vii) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी होने की स्थिति में प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र/पेंशनर होने का प्रमाण पत्र।

(viii) यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प.5(31)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 23.09.1997 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर खेल–कूद में प्रतिनिधित्व कर चुका है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र।

9. स्वास्थ्य परीक्षण -

मेडीकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाया गया अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्राप्त करने का पात्र होगा।

10. प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन -

चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा उनसे सत्यापन प्रपत्र भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। प्रमाण पत्रों की जाँच व चरित्र सत्यापन के उपरान्त नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

11. अन्य निर्देश -

(i) उपरोक्त पदों पर नियुक्त अभ्यर्थी को राजस्थान के किसी भी कारागृह/कार्यालय पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

(ii) अभ्यर्थी की परस्पर पदीय वरिष्ठता राज्य स्तर पर निर्धारित की जायेगी ।

(iii) आवेदन पत्र में अंकित समस्त विवरण सही होना चाहिये। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र में अंकित विवरण असत्य एवं नियमानुसार सही नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को तत्काल चयन से वंचित कर दिया जायेगा। इसी प्रकार नियुक्ति के पश्चात यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा असत्य विवरण के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करना सामने आता है तो नियमानुसार राज्य सेवा से निष्काषित कर उसके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(iv) राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को संबंधित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के संलग्न करना अनिवार्य है।

(v) अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया के समय प्रवेश पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को साक्षात्कार में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

(vi) निरस्त किए गये आवेदन-पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जायेगी।

(vii) विभाग विज्ञाप्ति पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है।

(viii) भर्ती प्रक्रिया सम्बन्धी विज्ञप्ति महानिदेशालय कारागार राज. जयपुर की वैबसाइट **www.rajprisons.in** पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सूचना भी वैबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(अजीत सिंह)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पद के लिए आवेदन पत्र

1.	अभ्यर्थी का नाम	....
2.	पिता/पति का नाम	....
3.	जन्म तिथि	....
4.	दिनांक 01.01.2017 को आयु	....
5.	लिंग	....
6.	विविाहित/अविवाहित	....
7.	शैक्षणिक योग्यताएं:	....

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज नवीन फोटा

8. श्रेणी : सामान्य/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला

9. पत्राचार का पता

10. स्थायी पता ....
....
....

11. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण

मैं शपथ बयान करता/करती हूॅ कि उपर अंकित विवरण पूर्णत: सही व प्रामाणिक है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य व सूचना छिपायी नहीं गई है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जावे कि मेरे द्वारा मिथ्या सूचना अंकित की गई है तो बिना किसी सूचना के रद्द की जावे।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती .... निवासी.......... शपथ पूर्वक बयान करता हूॅ/करती हूॅ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री........... निवासी .... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक......... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री .... निवासी .... के साथ दिनांक .... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं .... अविवाहित हूँ।

या

मैं .... विधुर/विधवा हूँ (पत्नी/पति/श्री/श्रीमती..............) ।

या

मैं तलाक शुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है) ।

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री .... के साथ दिनांक .... को सम्पन्न हुआ था ।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)